भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1853

04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय के भुगतान में विलंब

1853. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के प्रोत्साहनों, मानदेय या अन्य देयों के भुगतान में देरी की सूचना प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान ऐसे भुगतानों में विलंब की औसत अवधि कितनी है;

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रशासनिक अथवा निधि अंतरण संबंधी मुद्दों सहित इन विलंबों के क्या कारण बताए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए समय पर और प्रत्यक्ष भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य के विषय है, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता भी शामिल है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की होती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उल्लिखित आवश्यकताओं और समग्र संसाधन आवंटन सीमा के भीतर, उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लचीले पूल के तहत एकमुश्त आधार पर निधियाँ जारी की जाती हैं, ताकि राज्यों को अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का उपयोग करने में अधिक लचीलापन मिल सके, इसलिए आशाकर्मी संबंधी गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई अलग निधि जारी नहीं की जाती है।

आशाकर्मियों को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विविध गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोधों के आधार पर आशा कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहनों को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवधिक रूप से नई गतिविधियाँ भी शामिल की जाती हैं। एनएचएम के तहत इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-Update-2025-26/ASHA-incentive/ASHA%20Incentives.pdf

आशाकर्मियों को एनएचएम के तहत प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त, अपने संबंधित राज्य बजट से भी एनएचएम के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरूआत के बाद, आशा कार्यकर्ता निगरानी किए गए प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर टीम आधारित प्रोत्साहनों (टीबीआई) के लिए भी पात्र हैं (प्रति माह 1000 रुपये तक)। आशाकर्मी गैर-नकद प्रोत्साहन जैसे – आशाकर्मियों की वर्दी, पहचान पत्र, सीयूजी सिम, आशा डायरी, आशा विश्राम कक्ष आदि भी प्राप्त करने के हकदार हैं। सरकार ने आशाकर्मियों के योगदान के मान्यता स्वरूप, कम से कम 10 वर्ष तक आशाकर्मी के रूप में कार्य करने के उपरांत कार्यक्रम छोड़ने वाली आशाकर्मियों को ₹20,000/- का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने की भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2018 में, आशाकर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए आशा लाभ पैकेज पेश किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) जिसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर 2.00 लाख रुपये का लाभ (वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है)। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में दुर्घटनाजन्य मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर ₹2.00 लाख का लाभ; आंशिक दिव्यांगता पर ₹1.00 लाख का लाभ (वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है)।

इसके अतिरिक्त, आशाकर्मियों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना भी उपलब्ध है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000/- प्रति माह की पेंशन का लाभ मिलता है (प्रीमियम का 50% योगदान सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा)। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत आशा कर्मियों को उपरोक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार नामांकित किया गया है। साथ ही, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत ₹5 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को प्रदान किया गया है।

व्यय विभाग द्वारा दिनांक 13.07.2023 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के लिए समय पर निधियों के भुगतान हेतु नया फंड फ्लो मैकेनिज्म अर्थात् एसएनए स्पर्श पेश किया है।
